संसदीय समिति

Important One Liners For All Exams

* संसद , विभिन्न समितियों के माध्यम से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करती है ।

* ये समितियां सदन द्वारा नियुक्त अथवा **निर्वाचित** की जाती हैं या अध्यक्ष / सभापति द्वारा नामनिर्देशित की जाती हैं ।

* ये अध्यक्ष / सभापति के निर्देशानुसार कार्य करती हैं तथा अपना प्रतिवेदन सदन को या **लोकसभाध्यक्ष / सभापति** को सौंपती हैं ।

* संसदीय समितियों को मुख्यत: **दो भागों** में विभाजित किया जाता है (i) स्थायी समितियां (ii) तदर्थ समितियां

* **स्थायी समितियां** , स्थायी प्रकृति की होती हैं , जो निरंतरता के आधार पर कार्य करती हैं ।

* इनका **गठन** प्रत्येक वर्ष अथवा समय - समय पर किया जाता है ।

* **तदर्थ समितियों** की प्रकृति अस्थायी होती है ।

* जिस उद्देश्य के लिए उनका गठन किया जाता है , उसके पूरा होते ही इनका कार्यकाल भी समाप्त हो जाता है ।

* स्थायी समितियां हैं -

1. वित्त समितियां
2. विभागीय स्थायी समिति
3. जांच समिति
4 . परीक्षण एवं नियंत्रण के लिए गठित समिति
5 . सदन के दैनिक कार्यों से संबंधित समितियां
6 . सदन समिति अथवा सेवा समिति

* वित्त समितियों के अंतर्गत **लोक लेखा समिति** , **प्राक्कलन समिति** तथा **सार्वजनिक उपक्रम समिति** शामिल हैं ।

* अपवादस्वरूप कुछ समितियों को छोड़कर लगभग सभी स्थायी समितियों में **लोक सभा** एवं **राज्य सभा** के सदस्यों का अनुपात क्रमश: 2 : 1 का होता है ।

* लोक लेखा समिति में **कुल 22 सदस्य** होते हैं , जिनमें 15 सदस्य लोक सभा से और 7 सदस्य राज्य सभा से होते हैं ।

* यह समिति भारत सरकार के विनियोग लेखा और उन पर नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन की जांच करती है।

* इस समिति का कार्यकाल **एक वर्ष** होता है।

* प्राक्कलन समिति में सदस्यों की **संख्या 30** होती है।

* इसके सदस्य केवल लोक सभा से निर्वाचित होते हैं।

* यह समिति यह बताती है कि प्राक्कलनों में निहित नीति के अनुरूप क्या मितव्ययिता बरती जा सकती है तथा संगठन, कार्यकुशलता और प्रशासन में क्या - क्या सुधार किए जा सकते हैं।

* सरकारी उपक्रम समिति में **22 सदस्य** (15 लोक सभा 7 राज्य सभा) होते हैं।

* यह समिति सरकारी उपक्रमों के प्रतिवेदनों और लेखाओं की जांच करती है।

* याचिका समिति के सदस्यों की संख्या 15 होती है।

* लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट **लोक सभा के अध्यक्ष** को सौंपती है।

* सामान्यतया लोक सभा से विपक्ष के किसी सदस्य को इसका अध्यक्ष नियुक्त किए जाने की परंपरा है।

* इस समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोक सभाध्यक्ष द्वारा की जाती है।

Click Here To Join Telegram Channel - @knowledgekahub

✧ Download More PDFs

- 1.2-विद्युत आवेश के गुणधर्म
- 1.3-कूलॉम का नियम
- आर . आर . बी . जूनियर इंजीनियर- 25-05-2019 का प्रश्न पत्र
- Weekly Current Affairs (December I , 2020)
- ब्रिटिश राज्य के आर्थिक प्रभाव One Liners
- समाकलन तथा अवकलन के सूत्र
- Rajasthan Police Constable GK Part - 14
- राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर (NRC)
- भारत की जलवायु_Climate Of India

Disclaimer - यह पीडीएफ विभिन्न स्रोतों से तथ्य एकत्रित करके बनायीं गयी है , यदि इसमें कोई त्रुटि पायी जाती है तो नॉलेज हब संचालक की जिम्मेदारी नहीं होगी।

अन्य पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए यहाँ क्लिक करें या गूगल पर सर्च करें - knowledgekahub

@knowledgekahub @knowledgekahub Click Here To Join

भगवान के भरोसे मत बैठो , क्या पता वो हमारे भरोसे बैठा हो।